तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नाम्बर अहकाम हुक्म में जारी
30/6/25	वकील श्री सिंह अभि० रेस्पोंडेन्ट ने प्रपत्र 10 व 151 पर उपस्थित हो बयान लिखे हैं कि श्री नगेन्द्र ने संबंधित मूल वाद मीना देवी बनाम किशोरी वगैरह नामान्तरण कराकर, न्यायालय में प्रपत्र 9/11 लिया था। संबंधित अधिकारी की कार्यवाही निरस्त की जाये। प्रपत्र के सम्बन्ध में वादपत्र की नकल का आदेश पत्र भी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें नामान्तरण कराकर न्यायालय में मूल वाद लंबित होना पाया है। संबंधित अधीन नगरपालिका की कार्यवाही मूल वाद के निर्णय तक स्थगित किया जाना उचित है। अतः प्रपत्र डाली रेस्पोंडेन्ट द्वारा 10 व 151 पर स्थगन लिया जाता है। अधीन नगरपालिका की कार्यवाही मूल वाद सुनीता 9/23 बनाम मीनादेवी बनाम किशोरी वगैरह नामान्तरण कराकर न्यायालय में अंतिम निर्णय तक स्थगित की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Me
Date: 2025.08.16 14:29:39 IST
Reason: SelfAttested